संख्या–वे0आ0–2–228/दस–59(एम)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2009

विषय :– वेतन समिति, उ0 प्र0 (2008) द्वारा पत्र के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313/दस–54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तत्क्रम में राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा तथा राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1315/दस–59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

2–उक्त शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 15 व 16 में तथा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1315/दस–59(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक में उल्लिखित तालिका के क्रमांक 17 व 18 में इंगित वेतनमान रु0 8000–13500 के सम्बन्ध में उक्त तालिका के नीचे निम्न अंश इंगित हैं :–

"जहां इस वेतनमान के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हों अथवा जहां यह वेतनमान समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में देय हो।**

"जहां इस वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती भी हो।"**

3–वेतनमान समिति–2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के उपर्युक्त इंगित अंश को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"रु0 8000–13500 के वेतनमान वाले सभी पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड, वेतन बैण्ड–3 (रु0 15600–13500) तथा ग्रेड वेतन रु0 5400 अनुमन्य कराया जाये। परन्तु ऐसे पद जिनके पदधारकों को समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत तृतीय स्तरोन्नयन के रूप में रु0 8000–13500 का वैयक्तिक वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु0 5400) अनुमन्य हो और इन पदधारकों के लिये इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध न हो, तो ऐसे मामलों में रु0 8000–13500 के वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु0 5400 के साथ वेतन बैण्ड–2 (रु0 9300–34800) में रखा जायेगा।"

4–उपर्युक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इन शासनादेशों की शेष अन्य व्यवस्थाएं/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–228 / दस–59(एम) / 2008 टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3–प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
6–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
7–निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
8–वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0 प्र0।
9–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10–इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11–समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
12–समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक / समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उ0 प्र0।
13–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0 प्र0।
14–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0 प्र0।
15–निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी मदरसाज, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
16–समस्त सहायक निदेशक, संस्कृत पाठशालायें, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
17–उ0 प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
18–प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।
19–प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
20–कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल, इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा–282005
21–रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
22–निदेशक, के0 एन0 इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी, सुल्तानपुर।
23–निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।
24–निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
25–प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
26–प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
27–प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
28–प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
29–प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
30–प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
31–व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
32–पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
33–संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार, निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रं इलाहाबाद।
34–चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
35–नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
36–गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–243 / दस–59(एम) / 2008 टी0सी0

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 5 फरवरी,, 2009

विषय :– वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) द्वारा पत्र के माध्यम से की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2009 का शुद्धि पत्र।

महोदय,

वित्त
(वेतन आयोग)
अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–वे0आ0 –2–228 / दस–59(एम) / 2008 टी0सी0 दिनांक 02 फरवरी, 2009 के प्रस्तर–3 में टंकण त्रुटि वंश अंकित "वेतन बैण्ड–3 (रु0 15600–13500)" के स्थान पर वेतन बैण्ड–3 (रु0 15600–39100) पढ़ा जाय।

2–शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2009 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश की शेष अन्य व्यवस्थायें / प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–243 / दस–59(एम) / 2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2–प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

3–प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

4–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

7–निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

8–वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

9–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

10–इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

11–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12–समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उ0प्र0।

13–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

14–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

15–निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी पाठशालायें, उ0प्र0 इलाहाबाद।

16–समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0प्र0 इलाहाबाद।

17–उ0प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।

18–प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।

19–प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।

20–कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा–282005 ।

21–रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

22–निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, सुल्तानपुर।

23–निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लखनऊ।

24–निदेशक, एच0बी0टी0आई, कानपुर।

25–प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।

26–प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।

27–प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन (एल0टी0), प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

28–प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।

29–प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

30–प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।

31–व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।

32–पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।

33–संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

34–चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

35–नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

36–गार्डबुक।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०पी० ए०पी० 123 सा० वित्त–7–2–2009–(1984)–15000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।